Web Copy - Not Official

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 08 / 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा, नई मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
.......प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

श्रीमती पतरा पत्नी स्व. श्री जगदीश के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण
1–शेर सिह पुत्र स्व जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड अनाह गेट भरतपुर जिला भरतपुर
2–श्री नाहर सिह पुत्र स्व जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
3–श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
4–श्रीमती सुनीता पुत्री स्व जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
5–श्रीमती गीता पुत्री स्व. जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
6–श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व. जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
7–श्रीमती राधा पुत्री स्व. जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर

......अप्रार्थी ऋणी

श्री नाहर सिंह पुत्र स्व. जगदीश (स्व. श्रीमती पतरा एवं स्व. जगदीश का विधिक उत्ताराधिकारी) हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर
श्री ओमप्रकाश पुत्र राज सिंह हाऊस नं. 323 गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर

......अप्रार्थी गारन्टर

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश दिनांक 7.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 16–4–2015 को प्रार्थी बैंक से 350000/– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने हाऊस नं. 323 (क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज) गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर स्थित आवासीय सम्पति है जिसके पूर्व में–रोड़, पश्चिम में– प्लॉट नं. 314, उत्तर में –प्लॉट नंत्र 324, दक्षिण में–प्लॉट नं. 322., को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

.........2

जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज०)

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी0/ऋणी के खाता को दिनांक 30.6.2017 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.6.2017 तक 368155.40/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 31–7–2017 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 / ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस दिनांक 31–7–2017 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा बसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने हाऊस नं. 323 (क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज) गणेश नगर कॉलोनी सेवर रोड़ अनाह गेट भरतपुर स्थित आवासीय सम्पति है जिसके पूर्व में–रोड़, पश्चिम में– प्लॉट नं. 314, उत्तर में –प्लॉट नंत्र 324, दक्षिण में–प्लॉट नं. 322., को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official